सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन: ILO-UNICEF

प्रिलिम्स के लिये:

सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन, ILO, UNICEF, कोविड-19, गरीबी, SDG, बच्चों के लिये PM CARES।

मेन्स के लिये:

सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन: ILO-UNICEF।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन **(International Labour Organization- ILO) और** संयुक्त राष्ट्र बाल कोष **(United Nations Children's Fund- UNICEF)** ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है-"**More than a billion reasons: The urgent need to build universal social protection for children",** जिसके अनुसार, 4 में से सिर्फ 1 बच्चा सामाजिक सुरक्षा द्वारा परिरक्षित है, जबकि शेष अन्य बच्चे गरीबी, बहिष्करण और बहुआयामी अभाव के शिकार हो जाते हैं।

सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता:

- सामाजिक सुरक्षा एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है और **गरीबी से मुक्त दुनिया हेतु एक पूर्व शर्त है।**
- यह दुनिया के सबसे कमज़ोर **बच्चों को क्षमता प्राप्त करने में मदद देने का एक महत्त्वपूर्ण आधार भी है।**
- सामाजिक सुरक्षा **भोजन, पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच** बढ़ाने में मदद करती है।
- यह बाल श्रम **और** बाल विवाह को रोकने में भी मदद कर सकती है एवं **लैंगिक असमानता तथा बहिष्कार में अंतर्निहित कारणों को भी दूर कर सकती है।**
- यह घरेलू आजीविका का समर्थन करते हुए तनाव और यहाँ तक कि **घरेलू हिंसा को भी कम कर सकती है।**
- यह आर्थिक गरीबी को खत्म कर उस कलंक और बहिष्करण को भी कम कर सकती है जिसका सामना कई गरीब बच्चे करते हैं**साथ ही बचपन में महसूस की गई वंचना को "कम-से-कम" करने में मदद कर सकती है।**

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- **समग्र परिदृश्य:**
  - 0-18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों के लिये पारिवारिक नकद लाभ उपलब्ध नहीं है जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मौलिक स्तंभ है।
  - **वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी होती है।**
    - लगभग 800 मिलियन बच्चे 3.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं और 1 बिलियन बच्चे बहु-आयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं।
    - 0-15 वर्ष की आयु के केवल 26.4% बच्चों को सामाजिक सुरक्षा द्वारा परिरक्षित किया जा सका है, शेष 73.6% बच्चे गरीबी, बहिष्करण (Exclusion) एवं बहुआयामी अभावों में जी रहे हैं।
    - विश्व स्तर पर सभी 2.4 बिलियन बच्चों को स्वस्थ और खुश रहने के लिये सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- **सामाजिक सुरक्षा कवरेज:**
  - वर्ष 2016 से 2020 के मध्य विश्व के हर क्षेत्र में **बाल और परिवार सामाजिक सुरक्षा कवरेज दर गिर गई या फिर स्थिर हो गई,** जिससे कोई भी देश वर्ष 2030 तक पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज के तहत **सतत् विकास लक्ष्यों (SDG)** को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता।

- **लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों में कवरेज लगभग 51% से घट कर 42% हो गया है।**
- कई अन्य क्षेत्रों में कवरेज या तो स्थिर है या इसमें कमी आई है।

- **प्रभाव:**
  - अत्यधिक संकट के कारण **बड़ी संख्या में बच्चों के गरीबी में होने की** आशंका है, जिस वजह से सामाजिक सुरक्षा उपायों में तत्काल वृद्धि किये जाने की आवश्यकता होगी।
  - बच्चों के लिये सामाजिक सुरक्षा की कमी के **तत्काल और दीर्घकालिक प्रभाव** होते हैं, इससे **बाल श्रम एवं बाल विवाह जैसे अधिकारों के उल्लंघन** की व्यापकता बढ़ जाती है, जिससे बच्चों की आकांक्षाओं तथा अवसरों में भी कमी आती है।
  - इसके अतिरिक्त इस अवास्तविक मानव क्षमता का सामान्य रूप से समुदाय, समाज और अर्थव्यवस्था पर **अपरिहार्य प्रतिकूल तथा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता** है।
- **सामजिक सुरक्षा का महत्त्व:**
  - कोविड-19 महामारी से पूर्व वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी से अधिक थी।
  - एक अरब बच्चे गरीबी के कई रूपों का अनुभव करते हैं जिनकी **भोजन, पानी, स्वच्छता, आवास, स्वास्थ्य देखभाल, स्कूली शिक्षा** और अन्य आवश्यकताओं तक पहुँच की कमी है।
  - कोविड-19 महामारी ने संकट के समय में **सामाजिक सुरक्षा के महत्त्व** को प्रदर्शित किया।
  - विश्व की लगभग प्रत्येक सरकार ने बच्चों और परिवारों की मदद करने के लिए या तो मौजूदा कार्यक्रमों का तेज़ी से अनुकूलन किया या **नई सामाजिक सुरक्षा पहल** की शुरुआत की।
    - **अनाथों तथा बच्चों की बाल सहायता अनुदान (सीएसजी) राशि** बढ़ाने के लिये दक्षिण अफ्रीका ने वर्ष 2022 में एक कल्याणकारी योजना बाल सहायता अनुदान (सीएसजी) टॉप-अप कार्यक्रम की शुरुआत की।
    - राष्ट्रीय "पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन" योजना 10,793 पूर्ण अनाथों और 151,322 अर्द्ध-अनाथों के लिये उपायों का पैकेज है, जिसे 31 भारतीय राज्यों में अधिनियमित किया गया था। अब तक 4,302 बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

सुझाव:

- **सभी बच्चों के लिये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की दिशा में कार्रवाई करना** नीति निर्माताओं हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये, जिन्हें उन कार्यक्रमों में भी शामिल किया जाना चाहिये जो बाल गरीबी की समस्या के समाधान की गारंटी प्रदान करते हैं।
- अधिकारियों को **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों के माध्यम से बाल लाभ प्रदान करने** की भी सलाह दी जाती है जो परिवारों को महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं से जोड़ती हैं, जैसे गुणवत्ता वाली मुफ्त या सस्ती बाल-देखभाल।
- **घरेलू संसाधनों को जुटाकर** बच्चों के लिये बजट आवंटन बढ़ाकर, माता-पिता एवं अभिभावकों हेतु सामाजिक सुरक्षा को मज़बूत करके और अच्छे काम एवं पर्याप्त कर्मचारी लाभ की गारंटी देकर योजनाओं के लिये **स्थायी वित्तपोषण हासिल करने** की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न.अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 138 और 182 (2018) से संबंधित हैं:

(a) बाल श्रम
(b) वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं की अनुकूलता
(c) खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन
(d) कार्यस्थल पर लिंग समानता

उत्तर: (a)

स्रोत : डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/social-protection-for-children-ilo-unicef